

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा- सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक-11/03/2025

विषय:- राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छपरा (सारण) के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल रु0 3,49,78,00,000/-(रुपये तीन अरब उन्चास करोड़ अठहत्तर लाख) मात्र व्यय निमित प्रशासनिक स्वीकृति योजना के Scope of Work में परिवर्तन के कारण बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रु0 6,29,18,09,000/-(छः अरब उनतीस करोड़ अठारह लाख नौ हजार) मात्र की लागत पर योजना की घटनोत्तर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार के Scheme for Special Assistance to states for Capital investment 2024-25 Under Part-VIIA के तहत इस परियोजना हेतु अवशेष राशि रु0 21,77,00,000/-(रुपये इक्कीस करोड़ सतहत्तर लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त विषयक राज्यादेश सं0-386(1) दिनांक-29.03.2017, सह-पठित शुद्धि पत्र सं0-113(1)ब0, दिनांक-31.03.2017 एवं शुद्धि पत्र सं0-1391(1) दिनांक-07.12.2017 द्वारा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छपरा (सारण) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल रु0 3,49,78,00,000/-(रुपये तीन अरब उन्चास करोड़ अठहत्तर लाख) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त स्कीम (योजना) के Scope of Work में परिवर्तन के कारण बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रु0 6,29,18,09,000/-(छः अरब उनतीस करोड़ अठारह लाख नौ हजार) मात्र की लागत पर योजना की घटनोत्तर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या-236(7), दिनांक-28.10.2024 के द्वारा प्रदान की गयी है।

2- राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छपरा (सारण) के निर्माण हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक-F.No 44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX) Bihar, दिनांक-12.12.2024, पत्रांक-F No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Part-VII-SACE-10, दिनांक-12.12.2024 एवं वित्त विभाग के पत्रांक-740/वि0 दिनांक-13.12.2024 के द्वारा निर्माण का कार्य करने एवं लम्बित दायित्वों के भुगतान हेतु उक्त स्वीकृत स्कीम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार द्वारा Under Part-VIIA के तहत स्वास्थ्य विभाग को इस परियोजना कुल रु0 111.77 करोड़ मात्र की राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है। विदित हो कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-391(7), दिनांक-28.01.2025 द्वारा Under Part-VIIA अन्तर्गत स्वीकृत राशि के विरुद्ध पूर्व में रु0 90 00 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी है।

✓

3-इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है-

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	केन्द्रांश/ राज्यांश	राशि (रु० में)	आवंटनादेश सं० एवं दिनांक
1	2017-18	केन्द्राश	26,00,00,000	सं०-68(1)ब०,दिनांक-07.12.2017
2	2017-18		17,64,00,000	सं०-124(1)ब०,दिनांक-20.03.18
3	2018-19		48,00,00,000	सं०-96(1)ब०,दिनांक-21.01.2019
4	2019-20		21,76,00,000	सं०-1560(1),दिनांक-27 11 2019
योग-			1,13,40,00,000	
1	2017-18	राज्याश	17,33,33,000	सं०-68(1)ब०,दिनांक-07.12.2017
2	2017-18		11,76,00,000	स०-124(1)ब०,दिनांक-20.03 18
3	2018-19		32,00,00,000	स०-96(1)ब०,दिनांक-21 01 2019
4	2019-20		14,50,67,000	स०-1560(1),दिनांक-27.11 2019
योग-			75,60,00,000	
1	2022-23	राज्य योजना	30,00,00,000	स०-154(7),दिनांक-10.08.2022
2	2022-23		20,00,00,000	स०-515(7),दिनांक-28 02.2023
3	2022-23		1,00,00,00,000	स०-599(7),दिनांक-29 03 2023
4	2023-24		10,78.00,000	सं०-199(7),दिनांक-28 04 2023
5	2024-25		90,00,00,000	सं०-391(7),दिनांक -28 01 2025
योग-			2,50,78,00,000	
कुल योग (केन्द्राश+राज्याश+राज्य योजना)-			4,39,78,00,000	

4- अतएव उक्त के आलोक में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छपरा (सारण) के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल रु० 3,49,78,00,000/- (रुपये तीन अरब उन्चास करोड अठहत्तर लाख) मात्र व्यय निमित प्रशासनिक स्वीकृति योजना के Scope of Work में परिवर्तन के कारण बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रु० 6,29,18,09,000/- (छ अरब उनतीस करोड अठारह लाख नौ हजार) मात्र की लागत पर योजना की घटनोत्तर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार के Scheme for Special Assistance to states for Capital investment 2024-25 Under Part-VIIA के तहत इस परियोजना हेतु अवशेष राशि रु० 21,77,00,000/- (रुपये इक्कीस करोड सतहत्तर लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

5- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा राज्यादेश सं०-386(1) दिनांक-29.03.2017 में निहित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

6- यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8- राज्य योजना से Top up Fund के रूप में चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मद में उपबंधित राशि से व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0111-मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड-20-4210011100111 अन्तर्गत विषय शीर्ष 0111-53-01-मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में बजटीय उपबंध/अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

9- वित्त विभागीय पत्र संख्या-632वि०, दिनांक-04.07.2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या-10792/वि०, दिनांक-06.12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25" के लिए पूजीगत परियोजनाओं से संबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के

पी०एल० खाता मे हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी०एल० एकाउन्ट सं०-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID-----में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दिशा-निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

10- वित्त विभागीय पत्रांक-432/वि०, दिनांक-29.03.2023 एव पत्रांक-740/वि०, दिनांक-13.12.2024 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र मे तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते मे प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एव इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

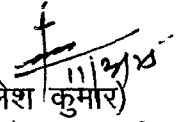
11- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12- प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

13- प्रारूप मे सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या-7/बजट-46-12/2024 के पृष्ठ-41/टि० पर प्राप्त है।

14- यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन


(शैलेश कुमार)

सरकार के अपर सचिव
Kumar

ज्ञापाक:-7/बजट-46-12/2024...502(7)

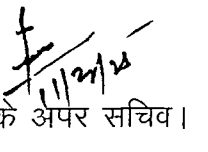
/स्वा०, पटना, दिनांक-11/03/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण/जिलाधिकारी, छपरा (सारण)/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य-सह-अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छपरा (सारण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-7/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित सभी को ई-मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।
Kumar